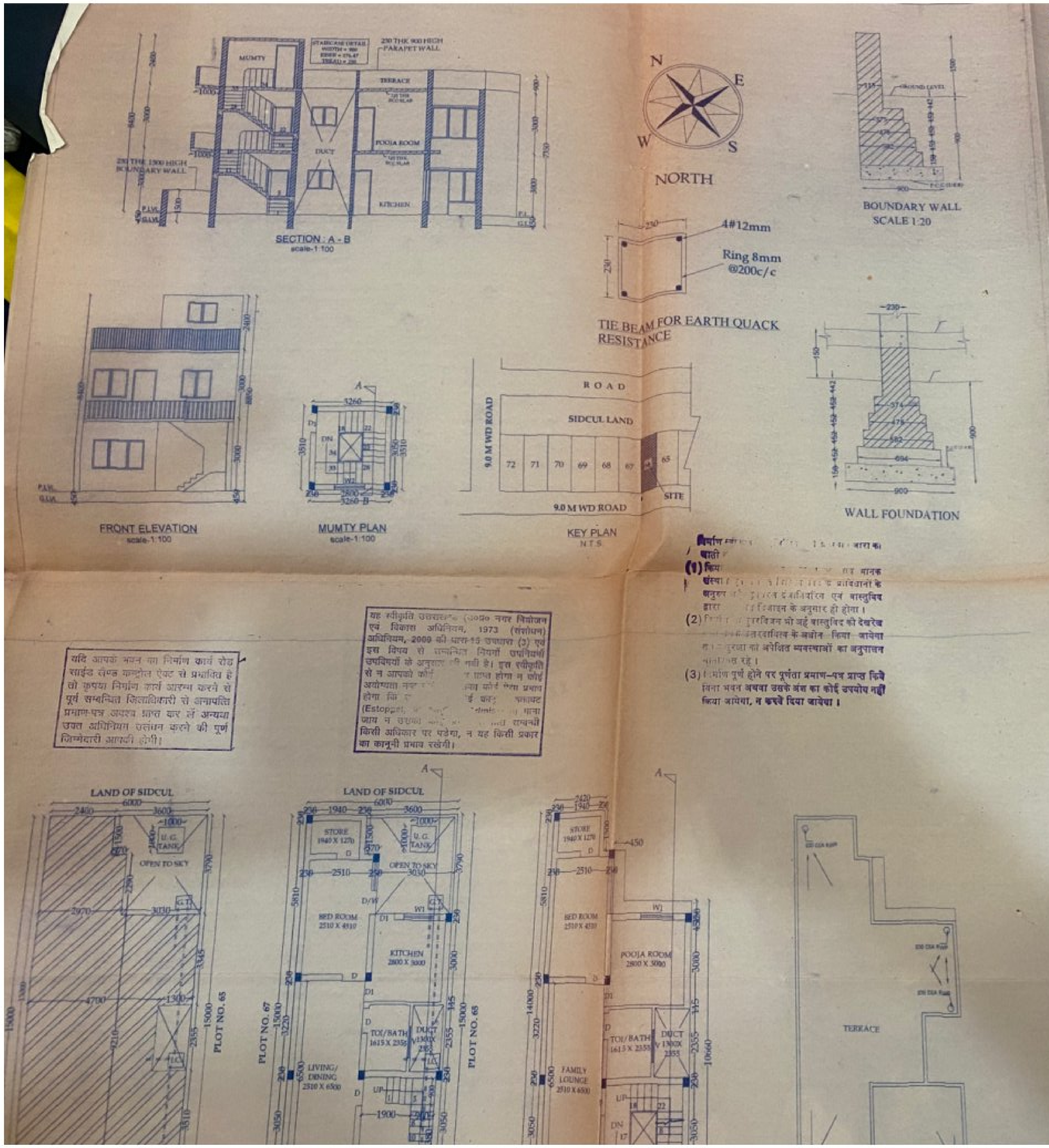

यदि आपके भवन का निर्माण कार्य रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल ऐक्ट से प्रभावित है तो कृपया निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अवश्य प्राप्त कर लें अन्यथा उक्त अधिनियम उल्लंघन करने की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

यह स्वीकृति उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा-15 उपधारा (3) एवं इस विषय से सम्बन्धित नियमों उपनियमों उपविधियों के अनुसार दी गयी है। इस स्वीकृति से न आपको कोई [illegible] प्राप्त होगा न कोई अधिष्ठाता [illegible] का कोई ऐसा प्रभाव होगा कि [illegible] कोई [illegible] (Estoppel) [illegible] किसी अधिकार पर पड़ेगा, न यह किसी प्रकार का कानूनी प्रभाव रखेगी।

निर्माण [illegible] द्वारा [illegible]
(1) [illegible] आवेदनों के अनुसार [illegible] एवं वास्तुविद द्वारा [illegible] के अनुसार ही होगा।
(2) [illegible] वास्तुविद की देखरेख [illegible] के अधीन किया जायेगा [illegible] का अनुपालन [illegible]
(3) निर्माण पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना भवन अथवा उसके अंश का कोई उपयोग नहीं किया जायेगा, न करने दिया जायेगा।

FOR SANCTIONING AUTHORITY

मानचित्र स्वीकृत

AREAS CHART

		SQ.M
1.	TOTAL PLOT AREA	= 90.00 SQ.M
2.	G. FLOOR COV. AREA	= 62.61 SQ.M
3.	FIRST FLOOR COV. AREA	= 51.17 SQ.M
4.	MUMTY COV. AREA	= 11.44 SQ.M.
5.	TOTAL COV. AREA	= 113.78 SQ.M.
6.	GROUND COVERAGE	= 69.56%
7.	F.A.R	= 1.26

SPECIFICATION

1. CEM.CONC.IN P.C.C OF FOUNDATION IN 1:4:8 RATIO OF CEMENT SAND AND ARRGREGATE.
2. FIRST CLASS BRICK WORK IN FOUNDATION IN 1:4 CEMENT MORTAR
3. 40MM TH. D.P.C IN 1:2:3 ,RATIO OF SAND AND GRIT WITH D.P.C POWDER.
4. FIRST CLASS BRICK WORK IN SUPERSTRUCTURE IN 1:5 CEMENT MORTAR.
5. CEMENT PLASTERING IN 1:5 AND 1:6 CEMENT MORTAR.
6. DOORS AND WINDOWS FRAME WORK WILL BE OF WOODEN OR STEEL.
7. C.I.S.W/S.C PIPE AND FITTING WILL BE PROVIDED.
8. G.I PIPE WILL BE PROVIDED WITH APPROVED FITTINGS.
9. ELECTRICAL FITTINGS WILL BE AS PER I.S.I SPECIFICATIONS

SCHEDULE OF DOORS,WINDOWS AND VENTILATORS

S.N.	DESCRIPTION	SIZES	S.N.	DESCRIPTION	SIZES
1.	DOOR(D)	900 X 2100	4.	WINDOW (W)	2000X2000
2.	DOOR(D1)	750 X 2100	5.	WINDOW(W1)	1200X1500
3.	DOOR/WINDOW	2200 X 1500	6.	VENTILATOR(V)	900X900

NOTE :-

1. ALL DIMENSIONS IN MM UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
2. THIS DRAWING HAS BEEN PREPARED AS PER BYLAWS OF H.D.A.
3. EARTH QUAKE RESISTANT MEASURES HAS BEEN INCORPORATED IN BUILDING DESIGN.

TITLE :

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING PLAN FOR SH. BABURAM S/O SH. SUKKAN SINGH AT PLOT NO. 66 OF M. B. CATEGORY, SITUATED AT INDRALOK AVASIYA YOJNA, GRAM RAWALI MEHDOOD, & GRAM RANIPUR, PARGANA JWALAPUR, TEHSIL/DISTT. HARIDWAR.

SIGN OF ARCHITECT	SIGN. OF APPLICANT

मानचित्र सं० SW-269/12-13
भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011, आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन के अधीन जाँच की गयी। मानचित्र अनुज्ञा निर्गत करने की अनुसंशा की जाती है।

अवर अभि०

सहायक अभियंता

SPACE FOR SANCTIONING AUTHORITY

मानचित्र अनुज्ञापत्र सं. 4677/आन०/ह०वि०/SW.269/12-13 दिनांक 05/1/13 में उल्लेखित शर्तों के साथ निर्गत किया जा रहा है। उक्त अनुज्ञापत्र इस मानचित्र का अभिन्न अंग है।

मानचित्र स्वीकृत

: सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

AREAS CHART

		SQ.M
1.	TOTAL PLOT AREA	= 90.00 SQ.M
2.	G. FLOOR COV. AREA	= 62.61 SQ.M
3.	FIRST FLOOR COV. AREA	= 51.17 SQ.M
4.	MUMTY COV. AREA	= 11.44 SQ.M.
5.	TOTAL COV. AREA	= 113.78 SQ.M.
6.	GROUND COVERAGE	= 69.56%
7.	F.A.R	= 1.26

SPECIFICATION:

1. CEM.CONC.IN P.C.C OF FOUNDATION IN 1:4:8 RATIO OF CEMENT SAND AND ARRGREGATE.
2. FIRST CLASS BRICK WORK IN FOUNDATION IN 1:4 CEMENT MORTAR
3. 40MM TH. D.P.C IN 1:2:3 ,RATIO OF SAND AND GRIT WITH D.P.C POWDER.
4. ...T CLASS BRICK WORK IN SUPERSTRUCTURE IN 1:5

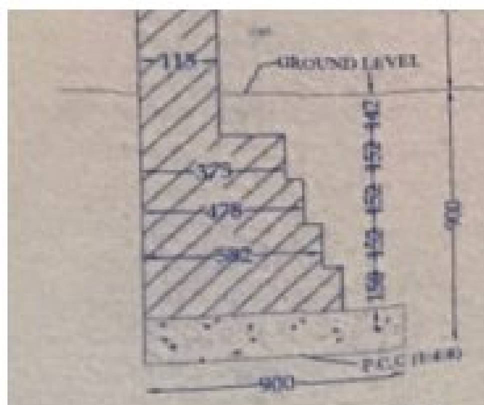

BOUNDARY WALL
SCALE 1:20

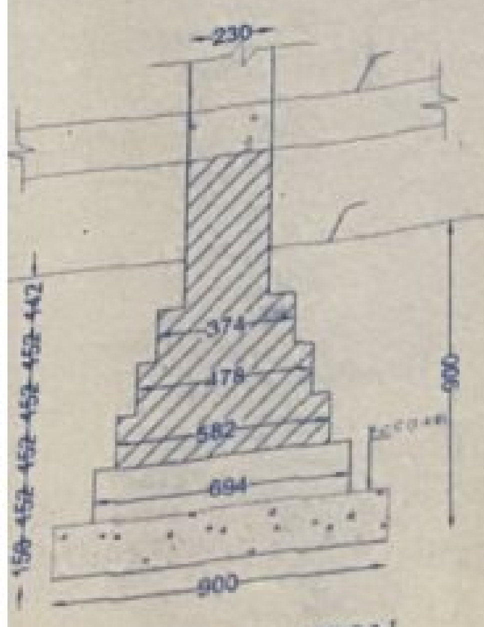

WALL FOUNDATION

…द्वारा क।

…मानक
…प्राविधानों के
…एवं वास्तुविद
…होगा।
…द की देखरेख
…क्या जायेगा
…का अनुपालन

…प्राप्त किये
…उपयोग नहीं

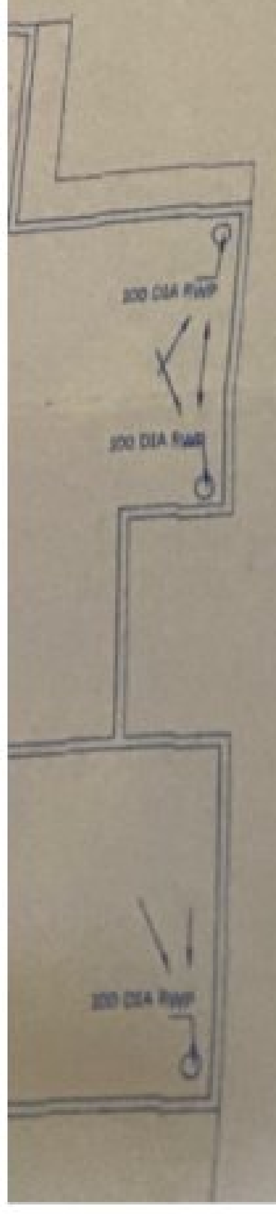

…अनुरोधा
…अभि०
…अभियंता

मानचित्र स्वीकृत

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

AREAS CHART

		SQ.M
1.	TOTAL PLOT AREA	= 90.00 SQ.M
2.	G. FLOOR COV. AREA	= 62.61 SQ.M
3.	FIRST FLOOR COV. AREA	= 51.17 SQ.M
4.	MUMTY COV. AREA	= 11.44 SQ.M.
5.	TOTAL COV. AREA	= 113.78 SQ.M.
6.	GROUND COVERAGE	= 69.56%
7.	F.A.R	= 1.26

SPECIFICATION:

1. CEM.CONC.IN P.C.C OF FOUNDATION IN 1:4:8 RATIO OF CEMENT SAND AND ARRGREGATE.
2. FIRST CLASS BRICK WORK IN FOUNDATION IN 1:4 CEMENT MORTAR
3. 40MM TH. D.P.C IN 1:2:3 ,RATIO OF SAND AND GRIT WITH D.P.C POWDER.
4. FIRST CLASS BRICK WORK IN SUPERSTRUCTURE IN 1:5 CEMENT MORTAR.
5. CEMENT PLASTERING IN 1:5 AND 1:6 CEMENT MORTAR.
6. DOORS AND WINDOWS FRAME WORK WILL BE OF WOODEN OR STEEL.
7. C.I.S.W/S.C PIPE AND FITTING WILL BE PROVIDED.
8. G.I PIPE WILL BE PROVIDED WITH APPROVED FITTINGS.
9. ELECTRICAL FITTINGS WILL BE AS PER I.S.I SPECIFICATIONS

SCHEDULE OF DOORS,WINDOWS AND VENTILATORS

S.N.	DESCRIPTION	SIZES	S.N.	DESCRIPTION	SIZES
1.	DOOR(D)	900 X 2100	4.	WINDOW (W)	2000X2000
2.	DOOR(D1)	750 X 2100	5.	WINDOW(W1)	1200X1500
3.	DOOR/WINDOW	2200 X 1500	6.	VENTILATOR (V)	900X900

NOTE :-

1. ALL DIMENSIONS IN MM UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
2. THIS DRAWING HAS BEEN PREPARED AS PER BYLAWS OF H.D.A
3. EARTH QUAKE RESISTANT MEASURES HAS BEEN INCORPORATED IN BUILDING DESIGN.

TITLE :

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING PLAN FOR SH. BABURAM S/O SH. SUKKAN SINGH AT PLOT NO. 66 OF M. B. CATEGORY, SITUATED AT INDRALOK AVASIYA YOJNA, GRAM RAWALI MEHDOOD, & GRAM RANIPUR, PARGANA JWALAPUR, TEHSIL/DISTT. HARIDWAR.

SIGN OF ARCHITECT	SIGN. OF APPLICANT
AR. VISHAL SINGH PUNDIR B.Arch MoCA CA/2000/26319	

कार्यालय हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार
(अनुज्ञा–पत्र)

पत्रांकः 4677 /महा0–1(क)मान0/हरि0/एस0डब्लू0–269/2012–13 दिनांक 5 जनवरी 13

विषयः उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973) (संशोधन) अधिनियम–2009 की धारा–14 व 15 के अधीन मानचित्र अनुज्ञा ।

श्री बाबूराम पुत्र श्री सुक्कन सिंह
भूखण्ड संख्या–66, एम/बी, इन्द्रलोक आवासीय योजना, ग्राम रावली महदूद, परगना ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 04.01.13 के संदर्भ में आपका प्रस्तावित **प्लाट न0–66, एम/बी, मौहल्ला/ग्राम/कालोनी, इन्द्रलोक आवासीय योजना, ग्राम रावली महदूद, परगना ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार जिसका भूखण्ड क्षेत्रफल 90.00 वर्ग मीटर व कवर्ड क्षेत्रफल 113.78 व0मी0 जोकि G+1 तल में प्रस्तावित है , आवासीय** निर्माण का संलग्न मानचित्र निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किया जाता हैः–

1. यह कि एकल खिड़की के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन को शासनादेश संख्या 476 /V–आ0–2008–59(आ0)/2008 दिनांक 02.06.08 में दिये गये निर्देश के कम में आवेदक एवं मानचित्रकार द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में भूमि स्वामित्व के सम्बन्ध में की गयी घोषणा एवं प्रस्तावित मानचित्र में तकनीकी विवरण आधार को मानते हुए स्वीकृति दी जा रही है। किसी भी तथ्य के छिपाये जाने तथा असत्य पाये जाने पर अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जायेगी ।
2. यह कि स्थलानुसार तकनीकी जांच सम्बन्धित क्षेत्रीय अभियंता द्वारा की जायेगी । तकनीकी रूप से भवन उपविधि/उपनियमों /शासनादेशों का उल्लंघन करने अथवा शपथ पत्र में की गयी घोषणा को असत्य पाये जाने पर आवेदक एवं मानचित्रकार / आर्कीटेक्ट के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी ।
3. प्रश्नगत स्वीकृति सिर्फ संलग्न मानचित्र पर शपथ पत्र के आधार पर प्रदान की जा रही है । इस स्वीकृति से किसी अन्य शासकीय विभाग, निकाय आदि की अनापत्ति/सहमति नहीं मानी जायेगी । किसी अन्य शासकीय विभाग, निकाय आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना एवं उनसे सम्बन्धित प्राविधानों आदि का अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी। प्राधिकरण इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा । यदि किसी विभाग से आपत्ति प्राप्त होती है तो प्रश्नगत मानचित्र की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
4. यह कि मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से पॉच वर्ष तक वैध है उसके बाद कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।
5. मानचित्र की स्वीकृति से शासकीय विभाग से स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते है।
6. मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा। प्रयोजन में परिवर्तन होने पर पूरा निर्माण अनाधिकृत माना जायेगा।
7. यदि भविष्य में किसी विकास कार्य हेतु विकास व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा तथा उक्त क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित किसी परियोजना विकास कार्य हेतु अतिरिक्त विकास शुल्क बिना किसी आपत्ति के जमा करना होगा ताकि उक्त क्षेत्र से प्राप्त विकास शुल्क से ही उक्त क्षेत्र का विकास कार्य सम्पादित कराया जा सके।

.............2

8. जो क्षेत्र विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगा वहाँ शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. दरवाजे तथा खिड़कियां इस तरह से लगाये जाये कि वह जब खुले तो उसके पल्ले सरकारी भूमि या सड़क की ओर न बढ़े व किसी अन्य मकान की रोशनी व हवा को प्रभावित न करते हों।
10. बिजली की लाईन से 05 फिट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
11. स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति सदैव निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण स्वीकृत मानचित्र स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन/भूखण्ड के स्वामित्व की जिम्मेदारी भी आवेदक की होगी।
12. सड़क,सर्विस लेन तथा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्ड़िग मैटिरयल) नहीं रखा जायेगा तथा गन्दे पानी के निकास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
13. निर्माण कार्य समाप्त होने के तीन माह के अन्दर आप निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पूरा होने के पूर्णता का प्रमाण पत्र प्राधिकरण से प्राप्त करें। तदोपरान्त ही भवन को प्रयोग में लाये अन्यथा स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
14. निर्माण के अन्दर यदि कोई वृक्ष आता है तो उसको काटने से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
15. पानी की निकासी के लिए बैंड़ छोड़ना होगा।
16. यदि अनुमति प्राप्त करने के बाद किसी भी समय उपाध्यक्ष अथवा उसके अधिकृत इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अनुमति तथ्यों को छुपाकर अथवा फर्जी एवं जाली तथ्य प्रस्तुत करके प्राप्त की है तो उक्त अधिकारी को यह अधिकार होगा कि उक्त अनुमति को निरस्त कर सकते है व उक्त मानचित्र के अन्तर्गत किया गया निर्माण अवैध माना जायेगा।
17. इस मानचित्र की स्वीकृति को मानचित्र के स्वामित्व का प्रमाण नहीं माना जायेगा और किसी न्यायालय में केवल मानचित्र को भू–स्वामित्व का प्रमाण नहीं माना जायेगा।
18. सीलिंग भूमि, नजूल भूमि अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
19. रोड़ वाईडनिंग के क्षेत्र में बाउन्ड्रीवाल अथवा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
20. भवन निर्माण के समय भूकम्प व सुरक्षात्मक तकनीक प्रयोग में लाना अनिवार्य होगा तथा इसकी समस्त जिम्मेदारी निर्माणकर्ता की होगी।
21. भवन के खुले क्षेत्र एवं अग्र भाग में नियमानुसार पेड़ लगाना अनिवार्य होगा।
22. रेन वाटर हारवेस्टिंग्स व सीवर का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
23. उत्तराखण्ड जल संस्थान का अनापत्ति प्राप्त करना होगा तथा निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व भी सम्बन्धित विभाग को सूचित करना होगा।
24. उत्तराखण्ड शासन द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निर्माण लागत का 1% प्रतिशत Cess जमा कराया जाना अनिवार्य किया गया है। Cess की राशि उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में भुगतान सहायक श्रम आयुक्त , हरिद्वार को स्वयं करना होगा।

दिनांकः /2013

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार